

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./99/2012

दर्ज दिनांक:-22.06.2012

1. रतनलाल पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. नानिगाराम पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

राजेन्द्रसिंह

दुलीचंद

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित नहीं है। उभयपक्षकारान वाद ग्रस्त आराजी के सह खातेदार है। बिना विधिक विभाजन के एक सह खातेदार है। बिना विधिक विभाजन के एक सह खातेदार दूसरे सहखातेदार को T.I. से पावंद नही करा सकता। इस प्रकार सुविधा का संतुलन एव अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी T.I. खारिज किया जाता है। पूर्व जारी एक पक्षीय T.I. दिनांक 14.06.2011 निरस्त की जाती है। दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर